



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012021-224770
CG-DL-E-29012021-224770

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374]

नई दिल्ली, बहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/माघ 8, 1942

No. 374]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

का.आ. 409(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बाड़मेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन) तैयार पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाईपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन परियोजना), अतिरिक्त निदेशक, परियोजना राजस्थान रिफाइनरी, बाड़मेर, श्री जसनाथ हाउस, वार्ड संख्या 42, बलदेव नगर, सरस दुग्ध डेयरी के पीछे, विश्वोई हॉस्पिटल के पास, बालोतरा-344022 को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची					
तहसील- सायला		जिला- जालोर		राज्य- राजस्थान	
क्रम.सं	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सुराणा	468	00	00	80
		कुल	00	00	80
2	देताकलां	1071	00	01	88
		1094	00	14	50
		1092	00	17	84
		1091	00	05	28
		1088	00	02	67
		1108	00	26	93
		1111	00	01	07
		1107	00	05	10
		1102	00	15	79
		कुल	00	91	06

[फ. स. आर-11025(15)/11/2020-ओ॰आर-1/ई-34574]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2021

S.O. 409(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of the finished Petroleum Product (Barmer Palanpur Pipeline) from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), a Pipeline should be laid by the Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority (Barmer Palanpur Pipeline Project), Additional Director, Project Rajasthan Refinery Barmer, Shri Jasnath House, Ward No 42, Baldev Nagar, Behind Saras Milk Dairy, Near Vishnoi Hospital, Balotra-344022

SCHEDULE

TEHSIL : SAYLA

DISTRICT: JALORE

STATE: RAJASTHAN

S.No	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Surana	468	00	00	80
		Total	00	00	80

2	Deta Kalan	1071	00	01	88
		1094	00	14	50
		1092	00	17	84
		1091	00	05	28
		1088	00	02	67
		1108	00	26	93
		1111	00	01	07
		1107	00	05	10
		1102	00	15	79
		Total	00	91	06

[F. No. R-11025(15)/11/2020-OR-I/E-34574]

P. SOMAKUMAR Under Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

का.आ. 410(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बाड़मेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन) तैयार पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाईपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबन्ध में सक्षम प्राधिकारी (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन परियोजना), अतिरिक्त निदेशक, परियोजना राजस्थान रिफाइनरी बाड़मेर, श्री जसनाथ हाउस, वार्ड संख्या 42, बलदेव नगर, सरस दुग्ध डेयरी के पीछे, विश्वोई हॉस्पिटल के पास, बालोतरा-344022 को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

तहसील— भीनमाल		अनुसूची जिला— जालौर		राज्य— राजस्थान	
क्रम. सं	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जुंजाणी	105	00	01	03
		176	00	04	49
		97	00	00	23
		405	00	09	34

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
		391	00	05	20
		392	00	00	60
		833	00	13	85
		834	00	01	46
		कुल	00	36	20
2	निम्बोडा	905	00	06	17
		906	00	01	26
		959 959/1022	00	03	36
		कुल	00	10	79

[फा. स. आर-11025(15)/11/2020-ओ॰आर-1/ई-34574]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2021

S.O. 410(E).— Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of the finished Petroleum Product (Barmer Palanpur Pipeline) from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), a Pipeline should be laid by the Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority (Barmer-Palanpur Pipeline Project), Additional Director, Project Rajasthan Refinery Barmer, Shri Jasnath House, Ward No 42, Baldev Nagar, Behind Saras Milk Dairy, Near Vishnoi Hospital, Balotra-344022

SCHEDULE

TEHSIL : BHINMAL		DISTRICT: JALORE		STATE: RAJASTHAN	
S.No	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.M.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Junjhani	105	00	01	03
		176	00	04	49
		97	00	00	23
		405	00	09	34

S.No	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.M.
		391	00	05	20
		392	00	00	60
		833	00	13	85
		834	00	01	46
		Total	00	36	20
2	Nimboda	905	00	06	17
		906	00	01	26
		959 959/1022	00	03	36
		Total	00	10	79

[F. No. R-11025(15)/11/2020-OR-I/E-34574]

P. SOMAKUMAR Under Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

का.आ. 411(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बाड़मेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन) तैयार पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाईपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन परियोजना), अतिरिक्त निदेशक, परियोजना राजस्थान फाइनरी, बाड़मेर, श्रीजसनाथ हाउस, वार्ड संख्या 42, बलदेवनगर, सरस दुग्ध डेयरी के पीछे, विश्वोई हॉस्पिटल के पास, बालोतरा-344022 को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची**तहसील-रानीवाड़ा****जिला-जालोर****राज्य-राजस्थान**

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे सं./गाटा सं.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	धनवाड़ा	568	00	04	32
		569	00	00	89

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे सं./गाटा सं.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
		575	00	01	50
		616	00	06	72
		535	00	00	74
		534 706/534	00	01	80
		159	00	06	93
		कुल	00	22	90
2	रोपसी	2	00	04	45
		6	00	07	84
		53	00	14	84
		63	00	06	39
		2527/62	00	05	20
		2528/63	00	03	22
		1027	00	00	50
		66, 2530/66 2531/66	00	04	48
		51	00	06	80
		68	00	00	83
		50	00	00	50
		73	00	00	50
		1056	00	00	50
		1111	00	01	49
		1140	00	07	92
		1258	00	05	48
		1257	00	00	82
		1342	00	00	50
		1341	00	00	80
		1458	00	02	05
		1461	00	00	52
		1466	00	00	50
		कुल	00	76	13
3	सिलासन	1747	00	01	56
		कुल	00	01	56

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे सं./गाटा सं.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
4	मेडा	441	00	01	90
		156	00	00	65
		कुल	00	02	55
5	सेवाडिया	238/531	00	00	60
		236	00	06	34
		कुल	00	06	94
6	सिंघावास	298	00	02	99
		284	00	03	27
		कुल	00	06	26
7	जाखड़ी	1156	00	00	84
		1157	00	01	95
		1158	00	02	43
		1173	00	03	95
		1195	00	00	70
		1196	00	02	84
		1202	00	02	96
		1344	00	02	30
		1341	00	07	99
		1368	00	37	30
		1369	00	15	49
		1373	00	07	20
		कुल	00	85	93
8	धानोल	48	00	00	90
		60	00	00	54
		348 1639/348	00	00	47
		362	00	00	74
		361	00	00	68
		354	00	14	68
		478	00	01	77
		570	00	05	01
		629	00	01	40
		626	00	02	16
		कुल	00	28	35

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे सं./गाटा सं.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
9	दुधवद	31	00	01	37
		37	00	04	60
		47	00	03	65
		52	00	11	47
		कुल	00	21	09

[फा. स. आर-11025(15)/11/2020-ओ.आर-1/ई-34574]

पी . सोमाकुमार अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd January, 2021

S.O. 411(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of the finished Petroleum Product (BarmerPalanpur Pipeline) from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), a Pipeline should be laid by the Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority (Barmer-Palanpur Pipeline Project), Additional Director, Project Rajasthan Refinery Barmer, ShriJasnath House, Ward No 42, Baldev Nagar, Behind Saras Milk Dairy, Near Vishnoi Hospital, Balotra-344022

SCHEDULE**TEHSIL: RANIWADA****DISTRICT: JALORE****STATE: RAJASTHAN**

S.No.	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dhanwada	568	00	04	32
		569	00	00	89
		575	00	01	50
		616	00	06	72
		535	00	00	74
		534 706/534	00	01	80
		159	00	06	93
		Total	00	22	90
2	Ropasi	2	00	04	45
		6	00	07	84

S.No.	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
		53	00	14	84
		63	00	06	39
		2527/62	00	05	20
		2528/63	00	03	22
		1027	00	00	50
		66, 2530/66 2531/66	00	04	48
		51	00	06	80
		68	00	00	83
		50	00	00	50
		73	00	00	50
		1056	00	00	50
		1111	00	01	49
		1140	00	07	92
		1258	00	05	48
		1257	00	00	82
		1342	00	00	50
		1341	00	00	80
		1458	00	02	05
		1461	00	00	52
		1466	00	00	50
		Total	00	76	13
3	Silasan	1747	00	01	56
		Total	00	01	56
4	Meda	441	00	01	90
		156	00	00	65
		Total	00	02	55
5.	Sewadiya	238/531	00	00	60
		236	00	06	34
		Total	00	06	94
6	Singawas	298	00	02	99
		284	00	03	27
		Total	00	06	26
7	Jakhari	1156	00	00	84
		1157	00	01	95
		1158	00	02	43
		1173	00	03	95

S.No.	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
		1195	00	00	70
		1196	00	02	84
		1202	00	02	96
		1344	00	02	30
		1341	00	07	99
		1368	00	37	30
		1369	00	15	49
		1373	00	07	20
		Total	00	85	93
8	Dhanol	48	00	00	90
		60	00	00	54
		348 1639/348	00	00	47
		362	00	00	74
		361	00	00	68
		354	00	14	68
		478	00	01	77
		570	00	05	01
		629	00	01	40
		626	00	02	16
		Total	00	28	35
9	Doodhwat	31	00	01	37
		37	00	04	60
		47	00	03	65
		52	00	11	47
		Total	00	21	09

[F. No. R-11025(15)/11/2020-OR-I/E-34574]

P. SOMAKUMAR Under Secy.